

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण  
छेड़खानी के मामले मे वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 306/2020 धारा 354(ख) / 504/ 506 भादवि मे वांछित अभियुक्तगण नाम 1- विनोद कुमार पुत्र नन्दलाल 2- अभिनीत पुत्र सन्तलाल निवासी अमरडोभा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि दिनांक 27.10.2020 को अभियुक्त द्वारा वादी की लड़की व वादी के सादू की लड़की के साथ छेड़छाड़ किया गया व विरोध करने पर गाली गुप्ता देते हुए जानमाल की धमकी दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध मे वादी द्वारा दिनांक 28.10.2020 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमे आज दिनांक 29.10.2020 को थाना मेहदावल पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1493 द्वारा पारिवारिक विवाद से भागे छोटे बच्चों की गई तलाश – पीआरवी 1493 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 01611 से कालर केशव ने पारिवारिक विवाद होने से बच्चे भयभीत होकर जंगल में भागने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 12 मिनट में पहुंच कर जंगल से महिला और बच्चों को जंगल से तलाश कर खाना खिलाकर थाना बखिरा की फोर्स को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 रामकुशल सिंह, हो0चा0 राशिद अहमद

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 62 वाहनो से 58000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29-10-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 62 वाहनो से 58000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।